न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सन्त कबीर नगर।

उपस्थितः– कृष्ण कुमार–V (उच्चतर न्यायिक सेवा,उ0प्र0)

J.O. code–UP 6390

फौजदारी निगरानी संख्या–004/2026

UPSK010045082025

1. विमलावती पत्नी दयाराम, साकिन बनकटा, थाना–मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर। .....निगरानीकत्री

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ।
2. मंगरू पुत्र बैठोले,
3. झिनकू पुत्र बैठोले,

निवासीगण ग्राम–बनकटा, थाना मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. यह फौजदारी निगरानी, निगरानीकत्री विमलावती की ओर से मुकदमा संख्या–1382/2024, सरकार बनाम बैठोल आदि के मामले में विद्वान न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मेंहदावल, जनपद–सन्त कबीर नगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–13.11.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि–आदेश विचारण न्यायालय खिलाफ कानून एवं वाक्यात के हैं। आदेश करते समय विचारण न्यायालय माइंड अप्लाई नहीं किया है, सरसरी तौर पर आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर निगरानीकत्री को परेशान करने के नियत से जिरह नहीं की गयी, तब न्यायालय संतुष्ट होकर अभियुक्तगण की तरफ से निगरानीकत्री से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया, उसके बाद बिना किसी आधार के विचारण न्यायालय काफी अन्तराल के बाद दिनांक–13.11.2025 को फिर से निगरानीकत्री से जिरह करने का आदेश देकर विचारण न्यायालय कानूनी भूल की है। निगरानीकत्री की मानसिक संतुलन इस समय खराब चल रहा है, जिसका लाभ लेकर अभियुक्तगण काफी अंतराल के बाद मुकदमें में बहस किये और विचारण न्यायालय आदेश पारित करके न्याय का गला घोंट दिया है। आदेश मातहत न्यायालय दिनांक–13.11.2025 हर आईने से त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकत्री द्वारा मातहत न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब तलब करके उसका अवलोकन करने के उपरांत आदेश विचारण न्यायालय दिनांक 13.11.2025 निरस्त कर, मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये जाने की याचना की गयी है।

3. निगरानीकत्री की ओर से अपने कथन के समर्थन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सरकार बनाम बैठोल आदि में पारित आदेश दिनांकित–13.11.2025 की नकल प्रति व आदेश पत्रक की छया प्रति दाखिल की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा आपत्ति 8ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि निगरानीकर्ता सरकार बनाम बेठोल के वाद में वादिनी मुकदमा है। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह न करने पर वादिनी/निगरानीकर्ता के जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। बाद में अभियुक्त के तरफ से रिकाल प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु निगरानीकर्ता को पुनः न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अनियमितता नहीं है।निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आशय का निष्कर्ष दिया गया है कि–**" जिरह न्यायालय के समक्ष सत्य प्रकटीकरण हेतु एक प्रभावी साधन होते हैं जिससे साक्षी के कथनों की सटीकता सत्यता तथा पूर्व कथनों से सुसंगतता की जॉच होती है। विमलावती देवी मुकदमा वादिनी है एवं मुख्य गवाह है। साक्षी की जिरह उचित न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। आदेश– प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित–30.11.2013 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0–1 दिनांक–26.11.2025 को पेश हो। "**

उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकत्री द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा संख्या–1382/2024, सरकार बनाम बैठोल आदि में निगरानीकत्री वादिनी मुकदमा है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह न करने पर वादिनी के जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। बाद में अभियुक्त के तरफ से रिकाल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु वादिनी/निगरानीकत्री को पुनः तलब किया गया है।

8. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। आलोच्य आदेश, पत्रावली पर उपलब्ध तात्विक (ठोस) तथ्य के आधार पर पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में कोई भी अवैधता एवं अनियमितता नहीं है। अतः पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–13.11.2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की प्रति

विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाय तथा बाद आवश्यक कार्यवाही, प्रस्तुत फौजदारी निगरानी की पत्रावली दाखिल–दफ्तर हो।

दिनॉक–07.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो)
सन्त कबीर नगर।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके, सुनाया गया।

दिनॉक–07.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो)
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.07.07 16:43:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court